UPMO010071572026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) JO Code No-UP1895

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2196/2026

परसोती, आयु लगभग 56 वर्ष, पुत्र मान सिंह, निवासी–राम तलैया, लाइनपार, थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुरादाबाद।

.....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–267/2022,
धारा–420, 467, 468, 471, 419, 120बी भा0दं0संहिता।
थाना–सिविल लाइंस, जिला मुरादाबाद।

20.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त परसोती की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–267/2022, अन्तर्गत धारा–420, 467, 468, 471, 419, 120बी भा0दं0संहिता, थाना–सिविल लाइंस, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि, अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र, किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा श्री धनन्जय सिंह के द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 13.04.2022 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–801/2019, अन्तर्गत धारा–3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम प्रेम आदि की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के द्वारा की जा रही है, जिसमें दिनांक 17.11.2020 को पूर्व विवेचक के द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उच्चाधिकारीगण के निर्देश के अनुक्रम में प्रचलित है। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.07.20 16:19:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आया है कि, अभियुक्त संतराम के जामिनान खेलेन्द्र सिंह, अभियुक्त बलराम के जामिनान रोशन तथा चरन, अभियुक्त अजय के जामिनान सतीश तथा श्रीमती सरोज व अभियुक्त आरिफ के जामिनान नवाब जान तथा नवी जान के द्वारा अभियुक्तगण की जमानत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करायी गयी है। अभियुक्तगण संतराम उर्फ पतराम, बलराम, अजय तथा आरिफ ने अपने जामिनानों के साथ मिलकर षडयंत्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर माननीय न्यायालय से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत प्राप्त की है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण संतराम उर्फ पतराम, खेलेन्द्र सिंह, बलराम, रोशन, चरन, अजय, सतीश, श्रीमती सरोज, आरिफ, नवाब जान व नवी जान के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–420, 467, 468, 471 भा0दं0संहिता पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मामले में धारा–419, 120बी भा0दं0संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, प्रार्थी निर्दोष है, उसे उपरोक्त मुकदमें में झूंठा अभियुक्त बनाया गया है, प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अपराध कारित नहीं किया है, प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, विवेचक द्वारा दौरान विवेचना उसे अभियुक्त बनाया गया है और उसके विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी भी अभियुक्त या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, प्रार्थी मजदूर व बीमार व्यक्ति है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, प्रार्थी दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार, मुरादाबाद में निरुद्ध है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षडयंत्र रचकर मुकदमा अपराध संख्या–1078/2018 व मुकदमा अपराध संख्या–1193/2018 के अभियुक्त आरिफ की जमानत, न्यायालय में फर्जी व कूटरचित दस्तावेज दाखिल करके प्राप्त करने में सहयोग किया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक षडयंत्र

रचकर सत्र परीक्षण संख्या–134/2019, मुकदमा अपराध संख्या–1078/2018, धारा–395, 412 भा0दं0संहिता, थाना मझौला व सत्र परीक्षण संख्या–103/2019, मुकदमा अपराध संख्या–1193/2018, धारा–394, 412 भा0दं0संहिता, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद में अभियुक्त आरिफ की जमानत हेतु प्रस्तुत जमानतनामों पर सम्बन्धित तहसील व थाने की फर्जी सत्यापन आख्या लगाकर, उक्त फर्जी व कूटरचित जमानतनामों को न्यायालय में दाखिल करके, जामिन के तौर पर अभियुक्त की जमानत लेने आदि के अभियोग हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आना परिलक्षित है। मामले में बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का समान प्रकृति के 01 अन्य मुकदमे का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। सह–अभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त परसोती का जमानत प्रार्थना–पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–267/2022, धारा–420, 467, 468, 471, 419, 120बी भा0दं0संहिता, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद, निरस्त किया जाता है।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
20.07.2026

स्टेनो–राजीव कुमार